राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांकः– एफ .61(21)SSAAT/नियमावली/2019/4150 जयपुर, दिनांकः 25/11/2021

आदेश (आदेश संख्या 59/2021)

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में अंकेक्षण कार्य के लिये सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य/जिला संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन–पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति संख्या एफ.61(21)SSAAT/नियमावली/2019/3832 दिनांक 03.11.2021 (आदेश संख्या 55/2021) पत्रिका एवं दैनिक भास्कर समस्त हिन्दी संस्करणों में दिनांक 09.11.02021 को प्रकाशित की गयी है।

प्रकाशित विज्ञप्ति एवं सोसायटी की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञप्ति एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य/जिला संसाधन व्यक्तियों के लिए पात्रता हेतु सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही तथा गरीबों के अधिकारों के लिये कार्य करने के अनुभव प्रमाण–पत्र की अपेक्षा है।

विभिन्न आवेदकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विकास अधिकारियों द्वारा पंचायत समितियों में विगत वर्षों में निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण, मनरेगा शाखा/निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT) द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सम्पादित सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने वाले व्यक्तियों को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं।

अतः निर्देशानुसार समस्त विकास अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित निर्देशों की पालना करते हुए संबंधित आवेदकों/अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न प्रारूप में जारी किये जावें :–

1. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने पर उनके द्वारा वास्तव में सम्पादित किये गये सामाजिक अंकेक्षण कार्य की अवधि संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न प्रपत्र में जारी किया जावे।
2. नवीन पंचायत समितियाँ गठन होने पर कार्यक्षेत्र बँट जाने की स्थिति में पुरानी मूल पंचायत समिति, जहाँ से ऐसे संसाधन व्यक्ति को तत्सयम कार्यादेश प्रदान करके सामाजिक अंकेक्षण

करवाया गया था, उसी पंचायत समिति कार्यालय द्वारा उस अवधि का प्रमाण–पत्र रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया जावेगा।

3. यदि नवीन पंचायत समितियाँ गठन होने के पश्चात् का सामाजिक अंकेक्षण कार्य किया गया है तो नवीन पंचायत समिति कार्यालय द्वारा इसका अनुभव प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जावेगा।

4. संबंधित आवेदक आवश्यकतानुसार पृथक–पृथक अवधि के अनुभव प्रमाण–पत्र अपने ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ पेश करके अपना आवेदन पत्र भर सकें, इस हेतु संबंधित विकास अधिकारी आवेदन–पत्र प्राप्ति पर यथाशीघ्र और अधिकतम आवेदन–पत्र प्राप्ति के 2 दिवस में आवश्यक रूप से अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करेंगे ताकि कोई आवेदक इस कारण ऑनलाइन आवेदन भरने से वंचित न हो।

5. प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा सोसायटी के आदेश क्रमांक एफ 61(110)SSAAT/Conc. SA Calendar/2020–21/2018–43 दिनांक 09.12.2020 के बिन्दु संख्या 5 के अंतर्गत खोली गयी सामाजिक अंकेक्षण पत्रावली से ही सभी अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किये जावेंगे, कार्यालय रिकॉर्ड में कार्यालय प्रति संधारित रखी जावेगी।

इन अनुभव प्रमाण–पत्रों पर क्रम संख्या 1 से लगातार अंकन किया जाना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रति निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण को ई–मेल आई.डी. – AOADM.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN पर आवश्यक रूप से उसी दिन भिजवाई जावेगी।

6. अनुभव प्रमाण–पत्र केवल सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादन किये जाने पर ही दिया जाना है। किसी अभ्यर्थी द्वारा जिला परिषद/पंचायत समिति कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर, MIS प्रबन्धक या अन्य पदों पर कार्य करने पर यह प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावे क्योंकि इस प्रकार के कार्य अनुभव प्रस्तावित संविदा आवेदन पत्रों के लिये पात्रता के लिये सुमार नहीं है।

उपरोक्त निर्देश श्रीमान् शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सह सदस्य सचिव, GB, SSAAT की आई.डी. संख्या 3010/Secy/RD/2021 दिनांक 24.11.2021 द्वारा अनुमोदित है।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT

क्रमांक एफ .61(21)SSAAT/नियमावली/2019 जयपुर दिनांक:

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, शासी निकाय (GB), SSAAT।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति (EC), SSAAT।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं सदस्य सचिव, शासी निकाय GB, SSAAT।
4. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
5. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि वे जिलों में विकास अधिकारियों से पात्र अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी कराना सुनिश्चित करावें।
7. कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा एवं समस्त विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उपरोक्तानुसार अनभव प्रमाण जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
8. सोसायटी (SSAAT) के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

25/11/2021
(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT

पंचायत समिति का लेटर हैड पर जारी करें

क्रमांक.प.61 (SSAAT) जिले का नाम / पंचायत समिति का नाम / 2020 / दिनांक......

(प्रमाण पत्र संख्या ....)

<u>सामाजिक अंकेक्षण अनुभव प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / सुश्री .... पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री ....निवासी..ग्राम पंचायत ....पंचायत समिति..................................जिला.................................. द्वारा निम्नांकित अवधि के लिये इस पंचायत समिति में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित किया गया है।

कसं	वर्ष	अवधि (प्रथम / द्वितिय छमाही / माह
1		
2		
3		

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी द्वारा किये गये कार्य के पेटे नियमानुसार मानदेय भुगतान किया जा चुका है।

हस्ताक्षर ....
(नाम ....)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति........
जिला..................
(सील अंकन करें)

प्रतिलिपि– निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT) जयपुर राजस्थान को e-mail id <u>AOADM.SOCIALAUDIT@ RAJASTHAN.GOV.IN</u> पर वास्ते सूचनार्थ